कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)छ.ग.

// विविध आदेश //

क्रमांक **क–3** / एक–5–1 / 85, अम्बिकापुर, दिनांक २५ **जनवरी, 2026**

मैं, **के0 एल0 चरयाणी**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) वर्ष–2025 हेतु कार्य विभाजन के संबंध में, जारी विविध आदेश कमांक–**क–1** / एक–5–1 / 85, अम्बिकापुर दिनांक–21 जनवरी 2026 में निम्नानुसार संशोधन करता हूँ :–

1– कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2026 के कंडिका–03 के कॉलम–4 के सरल कमांक– 11 को विलोपित करते हुए उक्त स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"11– राशि रूपयें 15,00,001 / –(रूपयें पन्द्रह लाख एक) से अधिक के मूल्य के मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1966 की धारा 36 से संबंधित निष्पादन आवेदन की कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाहियॉ।"

02– कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2026 के कंडिका–05 के कॉलम–4 के सरल कमांक– 10 के पश्चात निम्नानुसार 11 प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"11– राशि रूपयें 5,00,001 / – (रूपये पॉच लाख एक) से 10,00,000 / – (रूपयें दस लाख एक) से अधिक के मूल्य के मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1966 की धारा 36 से संबंधित निष्पादन आवेदन की कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाहियॉ।"

03– कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2026 के कंडिका–08 के कॉलम–4 के सरल कमांक– 07 के पश्चात निम्नानुसार 08 प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"08– राशि रूपयें 10,00,001 / – (रूपये दस लाख एक) से 15,00,000 / – (रूपयें पन्द्रह लाख एक) से अधिक के मूल्य के मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1966 की धारा 36 से संबंधित निष्पादन आवेदन की कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाहियॉ।"

04– कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2026 के कंडिका–09 के कॉलम–4 के सरल कमांक– 05 के पश्चात निम्नानुसार 06 प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"06– राशि रूपयें 5,00,001– (रूपये पॉच लाख एक) तक के मूल्य के मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1966 की धारा 36 से संबंधित निष्पादन आवेदन की कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाहियॉ।"

24/1/26

(के0 एल0 चरयाणी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सरगुजा (अम्बिकापुर) छ0ग0